उत्तर प्रदेश शासन वित्त ( सामान्य ) अनुमाग—3 संख्या—सा—3—479/दस—2013—301/2000टी०सी० लखनऊ: दिनौंक: 29 मई, 2013

## कार्यालय - ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—सा—3—1563/दस—2012—301/2000 टी०सी०, दिनाँक 06 नवम्बर, 2012 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनाँक 01 जुलाई, 2012 से 72 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय—ज्ञाप दिनाँक 06 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनाँक 01 जनवरी, 2013 से महँगाई राहत की 08 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- 2— पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनाँक — 01 जनवरी, 2013 से 08 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 72 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो जायेगी।
- 3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबिक आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
- 4— यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या—सा—3— जी0आई0—06/ दस—2013—301/2000, दिनाँक 07 मई, 2013 द्वारा जारी किए जा चुके है।

Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No-Sa-3-479 /X-2013-301/2000 T.C. Dated: Lucknow: 29 May, 2013

## Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. Sa-3-1563/X-2012-301/2000 T.C. dated November 06, 2012 on the above mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from July 01, 2012 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 08 percent, with effect from January 01, 2013, the rate of dearness relief admissible to all civil / family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

- 2- As a consequence of the abovementioned 08 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 72 percent to 80 percent with effect from January 01, 2013.
- 3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
- 4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect whom separate orders will be issued by respective departments. Orders respect of All India Service pensioners/ family pensioners have been issued vide number G-3-G.I.-06/Xendorsement 2013-301/2000, dated May 07, 2013.

5— यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से संहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6— शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252 / दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7— महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

> ( अजय अग्रवाल ) सचिव, वित्त।

सेवा में,

उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

> ( Ajay Agarwal ) Secretary, Finance.

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.